पूर्वानुसार दिनांक.......7........को पेश हो।
24 2023

25- प्रार्थीगण हरदेव कौर पत्नी बन्ता सिह, हरविन्द्र सिह पुत्र बन्ता सिह जाति जटसिख सा.सिहपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए पेश कर चक 24 एएमपी खाता संख्या 94/73 खाता मनजीत कौर वगैरा ज.स. 2071–2074 प.न. 108/162 मु.न. 28 किला नं. 3, 4 व खाता मकबूज राज जौहड़ के किला नम्बर 5 में पत्थर लाईन के साथ साथ 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने निवेदन किया गया।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 258 दिनांक 16.08.2023 एवं पत्रांक 976 दिनांक 24.12.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट मे अंकित किया कि राजस्व रिकार्ड में किला नं. 5 जोहड दर्ज है जिसकी नियमुनसार किस्म परिवर्तन नही हो सकती तथा प्रार्थीगण के पास कोई स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है और प.न. 107/161 मु.न. 24 किला नं. 4 प्रार्थीगण की भूमि से निकटतम रास्ता होना बतलाते हुए रिपोर्ट भिजवाई गई। जो शामिल पत्रावली है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रकरण अत्यधिक समय से अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु लम्बित चल रहा है जबकि तहसीलदार राजस्व संगरिया नें अपनी रिपोर्ट में चक 24 एएमपी के प.न. 108/162 मु.न. 28 किला नं. 5 जोहड दर्ज होने के कारण इसकी किस्त परिवर्तन नही होना और पं.न. 107/161 मु.न. 24 के किला नं. 4 से रास्ता निकटतम रास्ता दर्शाया गया है तथा जिस काश्तकार के पास कृषि कार्य हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव है उसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत निकटतम रास्ता दिये जाने के स्पष्ट प्रावधान भी है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वैकल्पिक अन्य लघुतम मार्ग की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण नये सिरे से निकटतम मार्ग के अनुसार संबंन्धित को पक्षकार बनाकर रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है।

आदेश खुले में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner